भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2556

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

कोयला उद्योगों हेतु निधि

2556. श्री नरेन्द्र कुमार:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य को कोयला उद्योगों के लिए अवसंरचना विकसित करने के लिए कोई निधि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार किस प्रकार से राजस्थान राज्य में कोयला उद्योगों के लिए अवसंरचना विकसित करने का है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : पूरे भारत में रेल/सड़क के अवसंरचनात्मक ढांचे को विकसित करने के लिए सभी कोयला/लिग्नाइट खानों को सीसीडीएसी (कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति) के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। कोयला/लिग्नाइट खान को अपने प्रस्ताव कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को प्रस्तुत करने होते हैं, जिसे तत्पश्चात अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता वाली सीसीडीएसी के समक्ष रखा जाता है। यदि प्रस्ताव/परियोजना को सीसीडीएसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला/लिग्नाइट कंपनी के दावे की प्रतिपूर्ति की जाती है।

*****